अध्याय – V

अंतरिक्ष विभाग

5.1 प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन

भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के नीति ढाँचे में अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और उसके केन्द्रों के कर्मचारियों को विभिन्न पुरस्कार और प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। भारत सरकार ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर व्यक्तिगत/समूह निष्पादन के लिए निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्रिस) अनुमोदित की। डी.ओ.एस. ने सभी कर्मचारियों के लिए प्रिस लागू की और अन्य विशेष भत्तों को अतिरिक्त रूप से देना जारी रखा परिणामस्वरूप इसके कर्मचारियों को बहुविध लाभ हुए। प्रिस के लिए एक संरचनाबद्ध निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित नहीं किया गया। प्रिस देने में डी.ओ.एस. मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के उदाहरण थे।

5.1.1 प्रस्तावना

अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) का मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष सेवाएं बढ़ाने और विस्तार करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां और अंतरिक्ष प्रणालियां विकसित करना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के माध्यम से निष्पादित किया जाता है जो इसके अन्य केन्द्रों/यूनिटों के साथ डी.ओ.एस. की अनुसंधान तथा विकास शाखा है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के नीति ढांचे में डी.ओ.एस./इसरो और उसके केन्द्रों के वैज्ञानिकों/अभियंताओं, तकनीशियनों और प्रशासनिक कार्मिकों को विभिन्न पुरस्कार और प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। ये हैः

- **निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना** - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (एस.सी.पी.सी.) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित वेतन के अतिरिक्त निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्रिस) के रूप में ज्ञात नया निष्पादन आधारित आर्थिक लाभ का आरम्भ अनुमोदित किया (अगस्त 2008)। प्रिस विशिष्ट निष्पादन हेतु विशिष्ट पुरस्कार के सिद्धांत पर आधारित था और विचाराधीन अवधि के दौरान

कर्मचारी के निष्पादन को ध्यान में रखकर देय था। प्रिस उत्तरदायी शासन में संगठन के परिमेय योगदान से भी जुड़ा हुआ था।

प्रिस आरम्भ में डी.ओ.एस. तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में लागू किया जाना था। विस्तृत मार्गनिर्देश नोडल मंत्रालय अर्थात व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाने थे। बाद में डी.ओ.एस. ने अब तक विभाग के विभिन्न उद्देश्यों की उपलब्धि के आधार पांच वर्षों की अवधि के लिए अपने सभी कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर देय वेतन बैण्ड जमा ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत की दर पर विशेष भत्ते के रूप में सितम्बर 2008 से पूर्वप्रभावी रूप से संगठनात्मक प्रोत्साहन लागू करने के द्वारा प्रिस निरूपित किए (दिसम्बर 2008)। इसके अतिरिक्त वेतन बैण्ड में वेतन जमा ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत दर पर व्यक्तिगत समूह प्रोत्साहन वार्षिक आधार पर देय था। सितम्बर 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान डी.ओ.एस. ने अपने कर्मचारियों को प्रिस के तहत ₹ 560.74 करोड़[56] की राशि का भुगतान किया।

- **व्यावसायिक अद्यतन भत्ताः** नवीनतम सूचना प्राप्त करने और स्वयं को अद्यतन रखने के लिए वैज्ञानिकों/अभियंताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने ₹ 8,000-13,500 और अधिक वेतन के पूर्व संशोधित वेतनमान में डी.ओ.एस. के सभी वैज्ञानिकों/अभियंताओं को वर्ष 1998-99 से आगे ₹ 5,000 प्रतिवर्ष की दर पर व्यावसायिक अद्यतन भत्ता (पी.यू.ए.) देने का अनुमोदन किया। अक्टूबर 2007 से पी.यू.ए. की मात्रा बढ़ा दी गई और ₹ 14,300 से कम वेतनमान के वैज्ञानिकों के लिए ₹ 10,000; ₹ 14,300 अथवा अधिक से आरम्भ वेतनमान के वैज्ञानिकों के लिए ₹20,000 और ₹ 18,400 से आरम्भ वेतनमान के वैज्ञानिकों को ₹ 30,000 की दर पर श्रेणीकृत रीति में भुगतान किया गया। पी.यू.ए. की मात्रा फरवरी 2013 में और बढ़ाकर ₹ 14,300 से कम के पूर्व संशोधित वेतनमान के वैज्ञानिकों को ₹ 12,500, ₹ 14,300 या अधिक के वेतनमान में ₹ 25,000 तथा ₹ 18,400 या अधिक के वेतनमान में ₹ 37,500 की गई जो जुलाई 2011 से प्रभावी थी। 2006-07 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान डी.ओ.एस. ने अपने वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को पी.यू.ए. के भुगतान के लिए ₹ 69.30 करोड़ का व्यय किया।

- **तदर्थ लांच अभियान भत्ताः** प्रशासनिक श्रेणियों में कर्मचारियों और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों (वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को छोड़कर) को प्रोत्साहन

[56] ₹ 446.62 करोड़ संगठनात्मक प्रोत्साहन के रूप में और ₹ 114.12 करोड़ व्यक्तिगत समूह प्रोत्साहन के रूप में।

देने के उद्देश्य से डी.ओ.एस. ने अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन से ₹ 8,000-13,500 के वेतनमान से नीचे के डी.ओ.एस. के नियमित प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस.एण्ड.टी.) कर्मचारियों को ₹ 3,000 प्रति वर्ष का तदर्थ लांच अभियान भत्ता (ए.एल.सी.ए.) आरम्भ किया (अक्टूबर 2000) जो नवम्बर 2007 में ₹ 5.000 तक बढ़ाया गया था। ए.एल.सी.ए. अप्रैल 2012 से प्रभावी, प्रतिवर्ष ₹ 6,250 तक और बढ़ा दिया गया (मई 2013)। भत्ता भारत की धरती से एक प्रक्षेपण अभियान के पूरा होने पर, एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार, अनुग्रह राशि के रूप में देय था। 2006-07 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान, डी.ओ.एस. ने अपने कर्मचारियों को ए.एल.सी.ए. के भुगतान के लिये ₹ 20.93[57] करोड़ का व्यय किया ।

- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता-** विभिन्न अभियानों में उनके योगदान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कर्मियों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता की एस.सी.पी.सी. द्वारा सिफारिश (सितम्बर 2008) की गई थी। एस.टी.ए. का भुगतान ₹ 5,000 प्रति वर्ष की दर से किया गया था। इसकी शुरूआत के बाद, एस.एंड.टी. कर्मचारियों को देय ए.एल.सी.ए. 2008-09 के बाद से बंद कर दिया गया । अप्रैल 2013 में, एस.टी.ए. अप्रैल 2012 से प्रभावी, प्रतिवर्ष ₹ 6,250 तक बढ़ा दिया गया । 2008-09 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान, डी.ओ.एस. ने अपने कर्मचारियों को एस.टी.ए. के भुगतान के लिये ₹ 12.35 करोड़ का व्यय किया।

- **अतिरिक्त वेतन वृद्धि-** भारत सरकार ने (अक्टूबर 1998) डी.ओ.एस. के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करने, रखे रहने और उन्हें प्रेरित करने के लिये, ₹ 10,000-325-15,200, ₹ 12,000-375-16,500, ₹ 14,300-400-18,300 और ₹ 16,400-450-20,000 के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पदोन्नति पर, 1 जनवरी 1996 से प्रभावी, दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने को मंजूरी दी। एस.सी.पी.सी. ने (सितम्बर 2008) योग्य वैज्ञानिकों/ इंजीनियरों के लिए पदोन्नति के समय, अधिकतम चर वेतन वृद्धि छह वेतन वृद्धि तक के अनुदान की सिफारिश की, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित (जनवरी 2009) किया गया ।

[57] 2006-07 से 2013-14 के दौरान प्रशासनिक कर्मचारियों को ₹ 20.66 करोड़ और 2006-07 से 2007-08 के दौरान एस.एंड.टी. कर्मचारियों को ₹ 27.20 लाख के ए.एल.सी.ए. का भुगतान शामिल हैं । 2008-09 से प्रभावी, एस.एंड.टी. के कर्मचारियों के लिए ए.एल.सी.ए. बंद कर दिया गया और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता का भुगतान शुरू कर दिया गया था।

- **वार्षिक पुरस्कार स्कीम-** भारत सरकार ने (अक्टूबर 2007) वैज्ञानिकों/ इंजीनियरों[58] के लिए कैरियर के आकर्षण को बढ़ाने के लिए डी.ओ.एस. में वार्षिक पुरस्कार योजना को मंजूरी दी। पुरस्कार के अनुदान के लिए व्यय डी.ओ.एस. की वाणिज्यिक गतिविधियों[59] के माध्यम से अर्जित की गई राशि की निश्चित प्रतिशत से की जानी थी। 2006-07 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान, डी.ओ.एस. ने अपने वैज्ञानिकों / इंजीनियरों के वार्षिक पुरस्कारों की ओर ₹ 5.89 करोड़ का व्यय किया ।

- **सोने का सिक्का तथा अन्य उपहार-** अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन (दिसम्बर 2008) से चन्द्रयान-1 मिशन (अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया) की सफलता के प्रति उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने स्वायत्त निकायों सहित डी.ओ.एस./इसरो के प्रत्येक कर्मचारी, जो 1 जनवरी 2008 और 22 अक्टूबर 2008 के बीच सेवा में थे, को अधिकतम ₹ 10,000 मूल्य का उपहार दिया गया था। 2006-07 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान डी.ओ.एस. ने सोने के सिक्कों और उपहारों की खरीद के लिए ₹ 18.57[60] करोड़ का व्यय किया।

5.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2006 से मार्च 2014 तक डी.ओ.एस. में प्रोत्साहन योजनाओं के निरूपण, अनुमोदन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.1.2.1 डी.ओ.एस. में बहुविध प्रोत्साहनों का कार्यान्वयन

एस.सी.पी.सी. रिपोर्ट के कार्यान्वयन के सरकार के अनुमोदन से पूर्व डी.ओ.एस. में स्टाफ की भिन्न श्रेणियों जैसे वैज्ञानिक/इंजीनियर, तकनीकी स्टाफ (वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों के अतिरिक्त) और प्रशासनिक स्टाफ के लिए विभिन्न प्रोत्साहन थे। एस.सी.पी.सी. ने अपनी रिपोर्ट में यह कहते हुए कि सामान्य रूप से लागू विशेष भत्तों (संगठनात्मक प्रोत्साहन) का भुगतान समानुरूप उच्च निष्पादकों के लिए प्रति-उत्पादक और हतोत्साहक होगा, व्यक्तिगत, दल और संगठनात्मक उपलब्धियों को मिलाकर एक व्यापक प्रोत्साहन योजना की सिफारिश की।

---

[58] लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार, प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार, मेरिट पुरस्कार, युवा वैज्ञानिक योग्यता पुरस्कार और टीम उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल हैं ।

[59] अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं के वितरण से अर्जित किया गया राजस्व ।

[60] चन्द्रयान मिशन की सफलता के लिए सोने के सिक्कों के वितरण के प्रति ₹ 18 करोड़ और अन्य उपहारों के प्रति ₹ 57 लाख से बनी।

प्रिस की सिफारिश करते समय एस.सी.पी.सी. ने सिफारिश की कि वर्तमान प्रोत्साहन जैसे बोनस (तदर्थ अथवा उत्पादकता से जुड़ी), मानदेय, समयोपरि भत्ता आदि खत्म होंगे। एस.सी.पी.सी. की सिफारिश की भावना सामान्य रूप से लागू प्रोत्साहन योजनाओं को समान निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना से बदलने की थी। तथापि डी.ओ.एस. ने प्रिस लागू करते समय अपनी पूर्ववर्ती सामान्य रूप से लागू प्रोत्साहन योजनाओं जैसे ए.एल.सी.ए. तथा उपहार को जारी रखा।

प्रिस के कार्यान्वयन के पश्चात डी.ओ.एस. ने प्रिस के अंतर्गत संगठनात्मक प्रोत्साहन के रूप में ₹ 446.62 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान अर्थात प्रिस के लागू होने के बाद ए.एल.सी.ए. के प्रति ₹ 10.08 करोड़ और उपहार योजनाओं के प्रति ₹ 5.37 करोड़ का भुगतान किया। इसके अलावा डी.ओ.एस. ने 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान ₹ 5.08 करोड़ का समयोपरि भत्ता भी जारी किया। प्रिस के अतिरिक्त डी.ओ.एस. की पूर्व योजनाओं का प्रचालन असल में समान उपलब्धियों के लिए बहुविध प्रोत्साहन का भुगतान था।

डी.ओ.एस. ने प्रशासनिक कार्मिकों को ए.एल.सी.ए. का भुगतान यह कहकर उचित ठहराया (जून 2015) कि अंतरिक्ष मिशनों की संख्या बढ़ गई थी परंतु डी.ओ.एस. की कुल जनशक्ति में वृद्धि नहीं हुई थी। डी.ओ.एस. ने यह भी बताया (जून 2015) कि ओ.टी.ए. का भुगतान कार्यालय समय से अधिक समय तक किए गए अतिरिक्त प्रयास के लिए किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.सी.पी.सी. सिफारिशों की भावना सभी कर्मचारियों को लागू प्रोत्साहन योजनाओं को समान निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना से बदलने की थी। यह विशेष रूप से इस तथ्य के मद्दे नजर महत्वपूर्ण है कि डी.ओ.एस. ने एक ही लक्ष्य (चन्द्रयान मिशन) की उपलब्धि के लिए अपने स्टाफ को तीन प्रोत्साहनों, यथा प्रिस, सोने के सिक्के और ए.एल.सी.ए. का भुगतान किया जिसपर प्रतिवेदन के पैरा 5.1.2.4 में विस्तार से चर्चा की गई है। ए.एल.सी.ए. के भुगतान के लिए डी.ओ.एस. के औचित्य को भी इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है कि प्रिस लागू करने के पश्चात ए.एल.सी.ए. की दरें बढ़ाते समय डी.ओ.एस. ने सरकार का अपेक्षित अनुमोदन नहीं लिया था जैसा प्रतिवेदन के पैरा 5.1.2.3 (i) में विस्तार से चर्चा की गई है।

5.1.2.2 निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में डी.ओ.एस. द्वारा निर्मित प्रिस योजना में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः

(i) संगठनात्मक प्रोत्साहन का अनियमित निरूपण

एस.सी.पी.सी. रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण से पूर्व डी.ओ.एस. ने संगठनात्मक प्रोत्साहन की समान पद्धति पर डी.ओ.एस. के वैज्ञानिकों/अभियंताओं को विशेष भत्ता देने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) ने विभाग में लगाए कार्मिकों को एक समान मानने में न्यायसंगत और संतुलित अभिगम रखने के लिए इस प्रस्ताव को एस.सी.पी.सी. को भेजने का परामर्श डी.ओ.एस. को दिया।

तथापि एस.सी.पी.सी. अपनी रिपोर्ट में, जो सरकार द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2008) की गई थी, डी.ओ.एस. द्वारा प्रस्तावित 'सब कर्मचारियों पर लागू' विशेष भत्ता के पक्ष में नहीं था, क्योंकि यह सतत उच्च निष्पादकों के लिए प्रति-उत्पादक और हतोत्साहक होगा। इसलिए एस.सी.पी.सी. ने विभेदक निष्पादन के लिए विभेदक पुरस्कार के सिद्धांत के आधार पर प्रिस की सिफारिश की जो सामान्य आर्थिक प्रोत्साहन के स्वरूप की नहीं होनी चाहिए।

इस विषय पर एस.सी.पी.सी. द्वारा एस.सी.पी.सी. रिपोर्ट के लागू होने से पूर्व अपनी अंतर क्रिया में लिए गए रूख से व्यथित डी.ओ.एस. ने सरकार को एक प्रारूप केबिनेट नोट प्रस्तुत किया (मई/जून 2008)। इस केबिनेट प्रस्ताव पर एम.ओ.एफ. ने राय दी (अक्टूबर 2008) कि डी.ओ.एस. में वैज्ञानिकों/इंजनियरों को अतिरिक्त प्रोत्साहनों की मंजूरी प्रिस के शीघ्र लागू करने के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना चाहिए जैसा सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।

जब संगठनात्मक प्रोत्साहन के लिए संघ केबिनेट का अनुमोदन सुलभ नहीं था तब डी.ओ.एस. ने प्रिस के अंतर्गत संगठनात्मक प्रोत्साहन सूत्रबद्ध किया और अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन से 1 सितम्बर 2008 से लागू कर दिया। योजना के अंतर्गत अंतरिक्ष आयोग ने 'अब तक' के डी.ओ.एस. के विभिन्न उद्देश्यों को उपलब्धि के आधार पर पांच वर्षों (2008-13) की अवधि के लिए अंतरिक्ष विभाग के सभी कार्मिकों को मासिक आधार पर देय कुल वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन + ग्रेड वेतन) के 20 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर संगठनात्मक प्रोत्साहन देने का अनुमोदन किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डी.ओ.एस. ने प्रिस लागू करने से पूर्व एम.ओ.एफ. की सहमति प्राप्त नहीं की और अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन से स्वयं ही योजना लागू

कर दी जो अनियमित था। बाद में[61] जब मामला एम.ओ.एफ. की जानकारी में आया (जनवरी 2010) तब उन्होने भी कहा कि डी.ओ.एस. में संगठनात्मक प्रिस लागू करना एस.सी.पी.सी. की विशेष सिफारिश से उत्पन्न हुआ इसलिए नोडल विभाग अर्थात व्यय विभाग, एम.ओ.एफ. के परामर्श से डी.ओ.एस. द्वारा मार्गनिर्देश जारी किए जाने थे जो नहीं किया गया। बाद में एम.ओ.एफ. के आदेश पर डी.ओ.एस. ने प्रिस के मार्गनिर्देशों को संशोधित किया और एम.ओ.एफ के अनुमोदन से उन्हें जारी किया (जुलाई 2010)।

तथापि पूर्व अनुमोदन के अभाव में सितम्बर 2008 से 2009-10 तक डी.ओ.एस. द्वारा अनुसरित संगठनात्मक प्रोत्साहन योजना अनियमित थी। इस अवधि के दौरान डी.ओ.एस. ने प्रिस के कार्यान्वयन पर ₹ 109.12 करोड़ का व्यय किया।

डी.ओ.एस. ने बताया (जून 2015) कि अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन से प्रिस का आरम्भ आयोग की शक्तियों के अंदर आता था जिसके पास संसद द्वारा अनुमोदित बजटीय प्रावधानों के अंदर डी.ओ.एस. का कार्य करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रिस एक नई योजना थी जिसे आरम्भ किए जाने से पहले सरकार/एम.ओ.एफ. का अनुमोदन अपेक्षित था।

(ii) प्रिस की निगरानी और मूल्यांकन के तंत्र की कमी

एस.सी.पी.सी. रिपोर्ट के अनुसार प्रिस उत्तरदायी शासन के लिए संबंधित संगठन के परिमेय योगदान से जुड़ा था। प्रिस प्रणाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पी.एम.एस.) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) की सहायता से लागू की जानी थी। इसकी गहन संचार और कर्मचारियों के प्रशिक्षण द्वारा सहायता की जानी थी। मंत्रालय/विभाग से आरम्भ कर और व्यक्तिगत स्तर तक व्यवस्थित को प्रपाती कम कर बहुविध स्तरों पर उद्देश्यों तथा प्रदेयों के बारे में स्पष्टता संरचित प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की जानी थी। सूचना एवं निगरानी चैनलों, कार्य कार्यकलापों और प्रदेयों (कार्य विवरण और निष्पादन संकेतक), प्रतिनिधित्व एवं जबावदेही चार्ट और कार्य प्रक्रिया प्रवाह/सरकारी कार्य कार्यविधियों की स्पष्टता को भी विकसित किए जाने की आवश्यकता थी। प्रिस के भुगतान की आवधिकता कार्य प्रक्रियाओं और निष्पादन माप और निर्धारण की बारम्बारता से जोड़ा जाना था। मंत्रालय/विभाग/अन्य कार्यालयों के अंदर स्पष्ट व्यक्तिगत और/अथवा समूह (संगठनात्मक) लक्ष्य प्रिस चक्र के आरम्भ में निर्धारित और सभी अंतर्ग्रस्त पार्टियों को सूचित किए जाने की आवश्यकता थी। प्रिस तभी दिया जाना था जब चक्र (सामान्यतया एक साल) के अंत में व्यक्ति या समूह

[61] डी.ओ.एस. ने प्रिस के भुगतान हेतु वर्ष 2009-10 के लिए बजट बढ़ाने की मांग की और मामला एम.ओ.एफ. को भेजा।

द्वारा लक्षित निष्पादन स्तरों को पार कर लिया गया हो। पी.एम.एस. तथा एम.आई.एस. द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की सीमा को दर्शाना था।

प्रिस के अंतर्गत डी.ओ.एस. द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा समीक्षा में पता चला कि निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का संरचित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र डी.ओ.एस. द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, जैसे कि

- पी.एम.एस. और एम.आई.एस. यथा परिकल्पित गठित नहीं किए गए थे।
- उद्देश्यों, कार्यकलापों और प्रदेयों को निर्धारित करने और सूचित करने की कोई संरचित प्रक्रिया नहीं थी।
- संबंधित अवधि के आरम्भ में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी तथा मूल्यांकन संरचनाओं के अभाव में प्रिस के अंतर्गत परिकल्पित 'विभेदक निष्पादन हेतु विभेदक पुरस्कार' लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था।

डी.ओ.एस. ने बताया (जून 2015) कि उनके अंतरिक्ष मिशनों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिन निगरानी और मूल्यांकन तंत्र था। तथापि उत्तर प्रिस हेतु संरचित निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र के विषय पर मौन था।

(iii) प्रिस पर डी.ओ.एस. मार्गनिर्देशों का उल्लंघन

डी.ओ.एस. ने संगठनात्मक प्रोत्साहन योजनाओं के भुगतान हेतु मार्गनिर्देश जारी किए (फरवरी 2009)। एम.ओ.एफ. के बताए जाने पर (जनवरी 2010) डी.ओ.एस. ने अपने मार्गनिर्देश संशोधित किए और एम.ओ.एफ. के अनुमोदन से उन्हें जारी किया (जुलाई 2010)।

लेखापरीक्षा में इन मार्गनिर्देशों के उल्लंघनों के उदाहरण देखे गए जैसा नीचे चर्चा की गईः

(क) निर्धारण बिना प्रिस का भुगतान

जुलाई 2010 तक प्रिस का मासिक वेतन के साथ समवर्ती रूप से भुगतान किया गया था। जुलाई 2010 के बाद संशोधित मार्गनिर्देशों के आधार पर उसका पूर्ववर्ती छः माह के निष्पादन के आधार पर प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के महीनों में छमाही आधार पर भुगतान किया जाना था। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि 10 डी.ओ.एस. केन्द्रों में 451 मामलों के संबंध में सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों, जो

सेवानिवृत हो गए थे या रिपोर्ट अवधि के मध्य में डी.ओ.एस. छोड़ गए थे, को छमाही अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना और पूर्ण वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) के माध्यम से उनका निष्पादन निर्धारित किए बिना अंतिम भुगतानों के समय पर ₹ 1.39 करोड़ के प्रिस का भुगतान किया गया था। यह प्रिस मार्गनिर्देशों के प्रतिकूल था।

डी.ओ.एस. ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और बताया (जुलाई 2015) कि कार्मिकों, जो अधिवार्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृति/त्यागपत्र आदि के कारण कर्मचारी नहीं रहे, के संबंध में प्रिस के अंतर्गत संगठनात्मक प्रोत्साहन का संवितरण केवल सभी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को उसके संवितरण के समय पर किया जाएगा।

(ख) गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस की वसूली न करना

जुलाई 2010 के डी.ओ.एस. मार्गनिर्देशों के अनुसार, डी.ओ.एस./इसरो के कर्मचारी वर्ष 2008-09 से गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस (एन.पी.एल.बी.) के भुगतान के पात्र नहीं थे और 2009 के दौरान डी.ओ.एस./इसरो के पात्र कर्मचारियों को पहले ही प्रदत्त 2008-09 का एन.पी.एल.बी. जुलाई 2010 में भुगतान किए जाने वाले संगठनात्मक प्रोत्साहन के भुगतान से वसूल किया जाना था। 2008-09 के लिए एन.पी.एल.बी. के लिए डी.ओ.एस. द्वारा ₹ 71 लाख की राशि का भुगतान किया गया था जो वसूल की जानी थी। यद्यपि डी.ओ.एस. ने बताया (जून 2015) कि बोनस की वसूली के कोई मामले नहीं थे परन्तु उसे अभी उसकी पुष्टि में अपनी विभिन्न यूनिटों से उस आशय का प्रमाणन प्राप्त करना था।

5.1.2.3 तदर्थ प्रक्षेपण अभियान भत्ता में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में ए.एल.सी.ए. के भुगतान में अनियमितताएं देखी गई जिन पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) सरकारी अनुमोदन बिना ए.एल.सी.ए. में वृद्धि

डी.ओ.एस. ने ए.एल.सी.ए. की राशि ₹ 3,000 से बढ़ाकर ₹ 5,000 की (नवम्बर 2007) और आगे ₹ 6,250 तक बढ़ा दी (अप्रैल 2012) और 2006-07 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को ₹ 20.93 करोड़ का भुगतान किया। तथापि डी.ओ.एस. ने ए.एल.सी.ए. की दरों में वृद्धि के लिए अंतरिक्ष आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। इसलिए 2006-07 से 2013-14 के दौरान प्रशासनिक स्टाफ को ए.एल.सी.ए. के भुगतान के लिए किया गया ₹ 20.66 करोड़ और

2006-07 से 2007-08[62] तक एस.एण्ड.टी. स्टाफ को ₹ 27.20 लाख का व्यय अनियमित था।

डी.ओ.एस. ने उत्तर दिया (जून 2015) कि ए.एल.सी.ए. आरम्भ में सितम्बर 1999 में ₹ 5,000 प्रतिवर्ष के लिए अनुमोदित किया गया था परन्तु विभाग ने 1999-2000 से 2005-06 की अवधि के दौरान केवल ₹ 3,000 प्रतिवर्ष संस्वीकृत किया, जो 2006-07 और आगे ₹ 5,000 प्रतिवर्ष की आरम्भिक अनुमोदित राशि तक बढ़ाया गया था।

डी.ओ.एस. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष आयोग ने अपनी 95वीं बैठक (अक्टूबर 2000) में केवल ₹ 3,000 प्रतिवर्ष के ए.एल.सी.ए. के भुगतान का निर्देश दिया था। बाद में डी.ओ.एस. ने ₹ 5,000 तक (नवम्बर 2007) और आगे ₹ 6,250 (अप्रैल 2012) तक बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष आयोग का अनुमोदन नहीं लिया था।

(ii) अपात्र कार्मिकों को ए.एल.सी.ए. का भुगतान

डी.ओ.एस. परिसरों और उसकी यूनिटों की सुरक्षा की देखभाल केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) द्वारा की गई थी। इसलिए सी.आई.एस.एफ. के सुरक्षा कार्मिक डी.ओ.एस. के प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा, डी.ओ.एस. की एक यूनिट ने अपने परिसरों पर कार्यरत सी.आई.एस.एफ. कर्मचारियों को ए.एल.सी.ए. के प्रति ₹ 18.27 लाख की राशि का भुगतान किया। क्योंकि ए.एल.सी.ए. केवल डी.ओ.एस. और उसकी यूनिटों के कर्मचारियों के लिए अनुमोदित की गई थी, इलिए सी.आई.एस.एफ. स्टाफ को ए.एल.सी.ए. का भुगतान अनियमित था।

डी.ओ.एस. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (जून 2015)।

5.1.2.4 इसरो/डी.ओ.एस. कर्मचारियों को उपहारों/सोने के सिक्कों की अनियमित भेंट

अंतरिक्ष आयोग ने चन्द्रयान 1 मिशन (अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया) की सफलता के प्रति उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने स्वायत्त निकायों सहित डी.ओ.एस./इसरो के प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 10,000 से अनाधिक मूल्य का उपहार प्रस्तुत करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया (दिसम्बर 2008)। डी.ओ.एस. ने सोने के सिक्कों और अन्य उपहारों जैसे घड़ियों की खरीद और वितरण के प्रति 2006-07 से 2013-14 (मार्च 2014 तक प्रिस के कार्यान्वयन के बाद ₹ 5.37 करोड़) की अवधि के दौरान ₹ 18.57 करोड़ का व्यय किया।

---

[62] एस एण्ड टी स्टाफ को एस.टी.ए. देने के लिए एस.सी.पी.सी. सिफारिश के अनुमोदन के बाद ए.एल.सी.ए. 2008-09 से बंद कर दिया गया था और एस.टी.ए. से बदल दिया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जबकि डी.ओ.एस. ने अपनी अन्य प्रोत्साहन योजनाएं जैसे पी.यू.ए. और वार्षिक पुरस्कार योजनाएं भारत सरकार के अनुमोदन से लागू की, परन्तु उपहार योजना अंतरिक्ष आयोग के ही अनुमोदन से उसे लागू किया।

उसके अलावा, विभाग द्वारा निर्धारित संगठनात्मक प्रोत्साहन/प्रिस देने के लक्ष्यों/उद्देश्यों में से एक चन्द्रयान मिशन की प्राप्ति था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि तीन प्रोत्साहन यथा प्रिस, सोने का सिक्का और ए.एल.सी.ए. एक ही लक्ष्य की प्राप्ति/निष्पादन के लिए कर्मचारियों को दिए/वितरित किए गए थे।

डी.ओ.एस. ने बताया (जून 2015) कि सभी कर्मचारियों को उपहार देने को अंतरिक्ष आयोग ने अनुमोदन दिया था क्योंकि चंद्रयान मिशन डी.ओ.एस. के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो कि सभी कर्मचारियों के सतत प्रयासों के कारण थी।

डी.ओ.एस. के उत्तर को इस संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि तीन प्रोत्साहन जैसे प्रिस, ए.एल.सी.ए. और सोने के सिक्के एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और भारत सरकार के अनुमोदन के बिना कर्मचारियों को वितरित/दिए गए थे।

5.1.3 निष्कर्ष

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (एस.सी.पी.सी.) रिपोर्ट लागू करने के लिए सरकार के अनुमोदन से पूर्व, अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) की स्टाफ की भिन्न श्रेणियों के लिए तदर्थ लांच अभियान भत्ता (ए.एल.सी.ए.), व्यवसायिक अद्यतन भत्ता, पुरस्कार और उपहार जैसे विभिन्न प्रोत्साहन थे। एस.सी.पी.सी. ने अपनी रिपोर्ट में सब कर्मचारियों को लागू विशेष प्रोत्साहनों को हतोत्साहित करने के द्वारा, व्यक्तिगत, दल और संगठनात्मक उपलब्धियों को मिलाकर एक व्यापक प्रोत्साहन योजना की सिफारिश की। जब डी.ओ.एस. ने निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्रिस) लागू किया तब इन्होंने प्रिस के अतिरिक्त अन्य विशेष भत्ते जैसे ए.एल.सी.ए., उपहार और ओवरटाइम भत्ता, इन प्रोत्साहनों के प्रति ₹ 22.41 करोड़ (मार्च 2014 तक) व्यय करने के द्वारा जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप समान उपलब्धियों के लिए बहुविध प्रोत्साहन देना हुआ।

डी.ओ.एस. ने संवीक्षा और अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना प्रिस लागू किया। प्रिस के मानीटरन और मूल्यांकन हेतु एस.सी.पी.सी. द्वारा परिकल्पित संरचित तंत्र डी.ओ.एस. द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में प्रिस और अन्य प्रोत्साहनों जैसे ए.एल.सी.ए., और अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के अनियमित भुगतान के उदाहरण देखे गए।

5.2 सेवा कर का अनियमित भुगतान

मास्टर कंट्रोल फेसिलिटि, हासन ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा दी गई सुरक्षा सेवाओं की लागत पर सेवा कर के प्रति जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.33 करोड़ का भुगतान किया, जो नियमों के अंतर्गत अपेक्षित नहीं था। इसमें से ₹ 44.68 लाख का प्रतिदाय लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद निश्चित किया गया। शेष ₹ 88.05 लाख की राशि जब्त हो गई क्योंकि यह कालबाधित हो गई।

सेवाकर अधिनियम[63] की धारा 65 बी के खण्ड 44 के अंतर्गत 'सेवा' किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए की गई प्रतिफल के लिए किसी कार्यकलाप के रूप में परिभाषित है और घोषित सेवा शामिल करती है। सेवाकर अधिनियम की धारा 65 घ (क) के अनुसार, कारोबार स्वत्वों को दी गई सहायता सेवाओं के अतिरिक्त, सरकार द्वारा दी गई सेवाएं, सेवाओं की ऋणात्मक सूची अर्थात सेवाएं जिनपर कर नहीं लगता है, में शामिल की गई हैं। 1 जुलाई 2012 से प्रभावी, सेवाओं के कराधान-केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक शिक्षा गाइड का पैरा 2.4.11 आगे स्पष्ट करता है कि केन्द्र सरकार के एक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के दूसरे विभाग को दी गई सेवा कर योग्य नहीं होगी क्योंकि यह स्वसेवा होगी।

मास्टर कंट्रोल फेसिलिटि, हासन (एम.सी.एफ.) अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) के अधीन एक यूनिट है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)[64] के सभी जिओस्टेशनरी उपग्रहों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है। एम.सी.एफ. के परिसरों की सुरक्षा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक यूनिट द्वारा परिनियोजित स्टाफ के संबंध में वेतन और भत्तों, छुट्टी वेतन अंशदान, पेंशन अंशदान आदि के भुगतान के प्रति प्रदान की जाती है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एम.सी.एफ. ने सी.आई.एस.एफ. द्वारा दी गई सुरक्षा सेवाओं की लागत पर जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.33 करोड़ के सेवाकर का भुगतान किया, जो अपेक्षित नहीं था क्योंकि सी.आई.एस.एफ. और एम.सी.एफ. दोनों केन्द्र सरकार के संगठन हैं। एम.सी.एफ. द्वारा किए गए सेवाकर भुगतान के ब्यौरे ***परिशिष्ट XVIII*** में दिए गए हैं।

---

[63] वित्त अधिनियम 1994 का अध्याय V।

[64] इसरो डी.ओ.एस. का अनुसंधान संगठन है।

लेखापरीक्षा में आगे सत्यापन किया गया कि डी.ओ.एस. की अन्य यूनिटों नामतः बेंगलुरू स्थित इसरो मुख्यालय और इसरो उपग्रह केन्द्र (आई.एस.ए.सी.) में सी.आई.एस.एफ. द्वारा दी गई समान सेवाओं के लिए किसी सेवाकर का भुगतान नहीं किया गया था। आई.एस.ए.सी. द्वारा किए गए संदर्भ (सितंबर 2012) के उत्तर में सेवा कर आयुक्तालय बेंगलुरू ने स्पष्ट किया (जनवरी 2013) कि अभिन्न व्यक्तियों के बीच हुआ सेवा कार्यकलाप स्वसेवा होने पर कर योग्य नहीं होगा।

इसलिए जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि के लिए सी.आई.एस.एफ. द्वारा दी गई सुरक्षा सेवाओं के लिए सेवाकर के प्रति एम.सी.एफ. द्वारा ₹ 1.33 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

मामला सबसे पहले लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 2014 में उठाया गया था। उसके बाद सी.आई.एस.एफ. यूनिट, हासन ने ₹ 1.33 करोड़ की राशि के प्रतिदाय के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड, हासन (सी.बी.ई.सी.) को एक दावा प्रस्तुत (नवम्बर 2014) किया। सी.बी.ई.सी. ने ₹ 44.68 लाख की राशि का प्रतिदाय संस्वीकृत (मार्च 2015) किया और केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1994[65] की धारा 11(ख) के अंतर्गत समयसीमा के आधार पर ₹ 88.05 लाख की शेष राशि अस्वीकृत कर दी।

इस प्रकार, ₹ 1.33 करोड़ प्रदत्त सेवाकर की अनियमित राशि में से ₹ 44.68 लाख का प्रतिदाय लेखापरीक्षा के बताए जाने पर निश्चित किया गया और ₹ 88.05 लाख की शेष राशि जब्त हो गई।

डी.ओ.एस. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि मामले में विभिन्न केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा व्यासीय रूप से विपरीत विचार व्यक्त किए गए थे, क्योंकि सेवाकर की मांग अक्टूबर 2014 में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहिरकोटा[66] को भेजी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के पास पहले ही मिसाल उपलब्ध थी, क्योंकि आई.एस.ए.सी. ने काफी पहले सितम्बर 2012 में सेवाकर अधिकारियों को एक संदर्भ किया था और जनवरी 2013 में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ था।

---

[65] वित्त अधिनियम 1994 की धारा 83 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 की धारा 11(ख) कहती है कि सेवाकर के प्रतिदाय का आवेदन कर के भुगतान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर किया जाए।

[66] इसरो की एक यूनिट।

5.3 विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र-पूर्व, कोलकाता ने विद्युत प्रभारों के भुगतान के प्रति ₹ 55.37 लाख का परिहार्य व्यय किया।

भारते के संविधान के अनुच्छेद 287 के अनुसार, भारत सरकार किसी राज्य से उपमुक्त और खरीदी विद्युत पर कर भुगतान करने से मुक्त है। भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलूरू ने पाँच वर्षों के लिए, क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र-पूर्व[67], कोलकाता (आर.आर.एस.सी.-ई.) के कार्यालय परिसर के लिए अधिकतम 550 केवीए विद्युत की आपूर्ति हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल.) के साथ एक अनुबंध किया (अप्रैल 2010)। डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. की टैरिफ नीति के अनुसार, करार माँग से कम विद्युत खपत के लिए, वास्तविक माँग अथवा करार माँग के 85 प्रतिशत की निम्नतम माँग अर्थात 468 केवीए, जो भी अधिक थी, के प्रभारों का भुगतान करना था। विद्युत कनेक्शन मार्च 2011 से आरम्भ हुआ था और आर.आर.एस.सी.-ई. ने अप्रैल 2011 में कार्यालय भवन का अधिकार लिया था।

मार्च 2011 से अक्टूबर 2014 तक की अवधि के आर.आर.एस.सी.-ई. के विद्युत बिलों की संवीक्षा से पता चला कि आर.आर.एस.सी.-ई. ने विद्युत बिलों में डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल द्वारा उदग्रहीत विद्युत शुल्क के प्रति ₹ 23.23 लाख की राशि का भुगतान किया, यद्यपि यह उससे मुक्त था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.23 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि मार्च 2011 से अक्टूबर 2014 तक की अवधि के दौरान आर.आर.एस.सी.-ई. द्वारा विद्युत की वास्तविक खपत 68 केवीए से 366 केवीए के बीच थी (12 से 67 प्रतिशत) जो 468 केवीए (85 प्रतिशत) प्रतिमाह की निम्नतम बिल माँग से काफी कम थी। फलस्वरूप, आर.आर.एस.सी.-ई. ने 468 केवीए प्रति माह की निम्नतम बिल माँग के लिए माँग प्रभारों का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप आर.आर.एस.सी.-ई. द्वारा वास्तव में उपभोग न की गई विद्युत के प्रति ₹ 25.59 लाख की राशि का परिहार्य भुगतान किया। इससे आर.आर.एस.सी.-ई. की विद्युत आवश्यकताओं का दोषपूर्ण निर्धारण भी देखा गया।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा प्रकार का उपभोक्ता होने पर, आर.आर.एस.सी.-ई. ने अप्रैल 2011 से सितम्बर 2012 तक की अवधि के

[67] राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार की एक यूनिट।

लिए वाणिज्यिक टैरिफ दरों पर विद्युत प्रभारों का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.55 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

इस प्रकार आर.आर.एस.सी.-ई. ने विद्युत प्रभारों के भुगतान के प्रति ₹ 55.37 लाख का परिहार्य अधिक व्यय किया।

यह मामला पहले मार्च 2013 में आर.आर.एस.सी.-ई. की जानकारी में लाया गया था और अप्रैल 2015 में डी.ओ.एस. को भेजा गया था। आर.आर.एस.सी.-ई. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (नवम्बर 2014) और बताया कि उन्होंने डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. के साथ व्यक्तिगत विचार विमर्श और लिखित पत्र व्यवहारों के माध्यम से राशि के समाधान के लिए वास्तविक प्रयास किए थे। तथापि, अधिक भुगतान का समायोजन जनवरी 2015 तक अभी किया जाना था। डी.ओ.एस. का उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।